न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या–160 / 2026

(परिवाद वाद संख्या 1365सी / 2022 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

अजीत कुमार शर्मा बनाम राज्य सरकार

आदेश

02.06.2026 1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन **अजीत कुमार शर्मा** पिता गणेश शर्मा, उम्र 27 वर्ष, साकिन नावाडीह सिलफरी, थाना चन्द्रमंडी, जिला जमुई के द्वारा परिवाद वाद संख्या 1365सी / 2022 में धारा 498ए भा0द0वि0 तथा धारा 4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। उक्त जमानत आवेदन पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को सुना गया। आवेदक दिनांक 20.02.2026 से कारा में संसीमित है।

2– अभियोजन का कथानक संक्षेप में यह है कि दिनांक 02.05.2026 को फिदवी का विवाह अजीत कुमार शर्मा के साथ संपन्न हुआ था। उक्त तिथि को अभियुक्त बारात लेकर फिदवी के घर आये परंतु अभियुक्त अजीत कुमार शर्मा के जीजा डोमन शर्मा एवं भाई अशोक शर्मा के उकसावे पर फिदवी के ससुर गणेश शर्मा बुलेट मोटरसाईकिल की मांग को लेकर अड़ गये। उपस्थित संबंधियों के समझाने बुझाने एवं दो महीना की मोहल्लत पर किसी तरह से फिदवी का विवाह हो सका। विवाह के दूसरे दिन दिनांक 03.05.2021 को फिदवी विदा होकर अपने ससुराल देवघर आयी। वहां उसकी ननद बेबी देवी एवं सास मंजू देवी फिदवी को उलाहना देते हुए कहने लगी कि तुम्हारा बाप मोटरसाईकिल दे दिया होता तो मेरे पति को बेईज्जत नहीं होना पड़ता। करीब एक सप्ताह के बाद फिदवी विदा होकर अपने मायके आयी। वर्ष 2021 के दुर्गा पूजा के करीब फिदवी का पति उसे विदा कराकर देवघर ले गया। दुर्गा पूजा नवमी के दिन अशोक शर्मा फिदवी एवं उसके पिता को मोटरसाईकिल गछ कर नहीं देने हेतु गाली गलौज करने लगा। उसी दिन से सभी मुदालाहुम एकमत होकर मारपीट कर प्रताड़ित करना शुरू कर दिये। फिदवी के पति एवं ससुर रोज शराब पीकर फिदवी के साथ गाली गलौज तथा मारपीट करते थे। 25 नवम्बर 2021 को फिदवी के ससुर फिदवी के पिता से फोन कर दो लाख रूपया मांगे एवं बोले कि विवाह में काफी कर्ज हो गया है आप यह पैसा दे दो। काफी प्रयास के बाद दिसम्बर 2021 में फिदवी के पिता 50,000 / –रू0 दे पाये। उक्त घटना के बाद सभी मुदालाहुम काफी उग्र हो गये तथा प्रतिदिन फिदवी के साथ मारपीट एवं प्रताड़ित करने लगे। इसी जद्दोजहद में फिदवी गर्भवती हुई एवं दिनांक 28.07.2022 को उसे एक पुत्री पैदा हुई परंतु ईलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो गयी। मुदालहुम फिदवी का मोबाईल फोन भी छिन लिए ताकि फिदवी अपने माता पिता से सम्पर्क नहीं कर सके। फिदवी का फोन लगातार स्वीच ऑफ आने तथा उसके ससुराल वाले के द्वारा फोन पर बात कराने से इन्कार करने पर फिदवी के माता पिता काफी चिंतित हो गये तथा अपनी बेटी से मिलने देवघर गये। जहां उसकी हालत देखकर काफी परेशान हो गये तथा उसे विदा कराना चाहे परंतु मुदालाहूम उसे जाने नहीं दिये। पुनः दिनांक 10.08.2022 को फिदवी के पिता गवाहन के साथ जाकर फिदवी को किसी तरह से वापस लाये। परंतु फिदवी की सास, ननद एवं गोतनी एकमत होकर फिदवरी का करीब 4 भर का सोने का जेवरात छीनकर अपने पास रख लिये। चूंकि उस वक्त फिदवी मरनासन्न हालत में थी। अतः उसके पिता ज्यादा विरोध नहीं कर पाये। उक्त

लगातार.....

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या–160/2026

(परिवाद वाद संख्या 1365सी/2022 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

अजीत कुमार शर्मा बनाम राज्य सरकार

02.06.2026
लगातार

तिथि के बाद फिदवी के माता पिता फिदवी का घर बसाने का काफी प्रयास किये परंतु मुदालह बिना बुलेट मोटरसाईकिल एवं बाांकी का 1,50,000/–रू0 लिए बिना फिदवी को रखने को तैयार नहीं हुए। घटना की जानकारी फिदवी के पिता द्वारा चन्द्रमंडी थाना में दी गई परंतु बड़ाबाबू मुकदमा करने से इन्कार कर दिये। लिहाजा फिदवी श्रीमान् के समक्ष नालिसमंद होती है।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को परिचालित कर निवेदन करते हैं कि आवेदक दिनांक 20.02.2026 से कारा में संसीमित है। यह कि आवेदक द्वारा इससे पहले अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2190/24 न्यायालय में दाखिल की गई थी जिसका निष्पादन माननीय पटना उच्च न्यायालय के सलीम अंसारी बनाम बिहार राज्य के मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में किया गया था और उस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना में कोई अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। यह कि आवेदक स्वच्छ छवि का व्यक्ति है इसका पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह कि मामला परिवाद वाद होने पर भी आवेदक को 35(3) या 41(3) सी0आर0पी0सी0 का लाभ नहीं दिया गया है। यह कि आवेदक ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक पर लगाए गए सभी आरोप निराधार है। यह कि आवेदक का तर्क है कि यह मामला आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से और भरण पोषण मामला संख्या 52एम/24 के संदर्भ में दाखिल किया गया है। यह कि आवेदक पहले ही अपनी पत्नी को 54,000/–रू0 भुगतान कर चुका है। जिसकी रसीद की छायाप्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। फिदवी द्वारा आवेदक के साथ छल किया गया परंतु आवेदक अपनी पत्नी को पूरे सम्मान और गरिमा के साथ रखने के लिए तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4– अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक परिवाद वाद संख्या 1365सी/2022 में नामजद अभियुक्त हैं तथा उक्त वाद में आवेदक के विरूद्ध धारा 498ए भा0द0वि0 तथा धारा 4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि परिवादिनी पूजा कुमारी आवेदक अभियुक्त अजीत कुमार शर्मा पिता गणेश शर्मा की पत्नी है। परिवादिनी ने न्यायालय में दिये गये शपथ पर ब्यान में कथन किया है कि मेरी शादी दिनांक 02.05.2021 को अजीत शर्मा के साथ हुई थी ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। मैं ससुराल में एक भी दिन ठीक से नहीं रही मुझे दहेज के लिए मारपीट देते हैं, गाली गलौज करते हैं। शादी के दिन मेरे नंदोशी के उकसावे में आकर ससुर बुलेट मोटर मांगने लगे। समझाने पर शादी हुआ। जब ससुराल गई तब फिर बुलेट गाड़ी मांगने लगे। एक सप्ताह बाद मैं विदा होकर मायके आई, फिर जब गयी तब गाड़ी न मिलने पर गाली गलौज एवं मारपीट करते थे। पति एवं ससुर शराब पीकर मारपीट करते थे। पिता ने 50,000/–रू0 दिया फिर भी मारपीट करते रहे। मुझे जब प्रेगनेंसी का पता चला तो मैं उन्हें बतायी तो वह लोग गर्भपात कराना

लगातार.....

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या–160 / 2026

(परिवाद वाद संख्या 1365सी / 2022 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

अजीत कुमार शर्मा बनाम राज्य सरकार

02.06.2026
लगातार

चाहे, ईलाज नहीं करवाये जिसके कारण पुत्री जन्म लेते ही मर गई। मोबाईल छीन लिया तथा माता पिता विदा करवाने आये तो विदा नहीं किये। मेरा सब गहना छीन लिया। दिनांक 10.08.2022 को मैं अपने मायके आ गयी।

न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में परिवादिनी से ब्यान दिया है कि मैं ससुराल नहीं जाउंगी, मेरा पति कुछ नहीं करता है केवल शराब पीता है। हमलोगों को जानकारी नहीं था इसलिए फंस गये, अब कभी नहीं जाउंगी। अन्य साक्षियों द्वारा परिवाद पत्र का समर्थन किया गया है। जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान यह जमानत आवेदन मध्यस्थता केन्द्र में भेजा गया परंतु दोनों पक्षों में मध्यस्थता अंतिम रूप से दिनांक 03.04.2026 को असफल हो गया। उसके पश्चात् यह अभिलेख जमानत आवेदन की सुनवाई हेतु न्यायालय के समक्ष पुनः आया। अभिलेख के साथ आवेदक का शादी का फोटोग्राफ तथा लुंगी पहनकर नंगे बदन बोतल से शराब पीते हुये एवं शराब की बोतल सिर पर रखकर नाचते हुये फोटोग्राफ परिवादिनी द्वारा संलग्न किया गया है। अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं है जिससे विदित हो कि आवेदक एवं परिवादिनी के बीच विवाह विच्छेद हो गया है। परिवार न्यायालय जमुई में लंबित परिवार वाद संख्या 57 / 2024 के आदेश फलक दिनांक 18. 02.2025 से 24.04.2026 तक का आदेश फलक की सच्ची प्रतिलिपी की छायाप्रति आवेदिका द्वारा इस न्यायालय में दाखिल किया गया है तथा आवेदक द्वारा अंतरिम खर्चे के भुगतान हेतु परिवार न्यायालय द्वारा आवेदक के विरूद्ध दिनांक 18.11.2025 को डी0डब्लू0(Distress warrant) निर्गत किया गया है। आवेदक के तरफ से दूसरे लड़के साथ परिवादिनी के विवाह का फोटो भी दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन के कंडिका 01 के अनुसार दिनांक 20.02.2026 से आवेदक कारा में संसीमित है तथा आवेदक ने न्यायालय से निवेदन किया है कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ रखने लिए तैयार है परंतु परिवादिनी ने न्यायालय के समक्ष भी निवेदन किया कि वह अपने पति के साथ नहीं रहेगी क्योंकि उसे विश्वास है कि उसका पति उसे जान से मार देगा तथा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने शपथ पर ब्यान में भी परिवादिनी न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में कथन किया है कि मैं ससुराल नहीं जाउंगी। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदक पर परिवादिनी के भरण पोषण के बकाये की राशि बाकी है जिसके लिए परिवार न्यायालय द्वारा डी0डब्लू निर्गत किया गया है तथा आवेदक द्वारा डी0डब्लू निर्गत करने के पहले पूर्व का बकाया भरण पोषण की राशि आवेदिका को भुगतान किया गया है ।

अतः इस वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है फलतः आवेदक द्वारा 10,000 / –रू0 के दो जमानतदार समान प्रतिभूओं सहित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत करने पर तथा निम्न शर्तों का पालन करने पर आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लगातार.....

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

<u>जमानत आवेदन संख्या–160 / 2026</u>

(परिवाद वाद संख्या 1365सी / 2022 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

अजीत कुमार शर्मा बनाम राज्य सरकार

02.06.2026

1. आवेदक प्रत्येक तिथि पर वाद के निष्पादन तक न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा तथा दो लगातार तिथियों पर न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार युक्तियुक्त कारण के बिना न्यायालय में सदेह अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय आवेदक अभियुक्त का बंधपत्र खंडित कर देगा।

2. आवेदक पीड़िता सह परिवादिनी एवं इस वाद के तथ्य एवं साक्षियों एवं साक्ष्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो प्रभावित करेगा और न ही प्रभावित करने का प्रयत्न करेगा।

3. आवेदक के जमानतदार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निवास करने वाले व्यक्ति होंगे।

4. आवेदक के जमानतदारों के पास स्थायी भू–संपत्ति तथा उक्त संपत्ति का कागजात जमानतदारों के स्वयं के नाम से होना आवश्यक है।

5. न्यायालय की अनुमति के बिना आवेदक भारत से बाहर नहीं जायेगा।

6. किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर आवेदक का बंधपत्र विचारण न्यायालय आवेदक को बिना सूचना दिये खारिज करता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, जमुई